

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
षष्ठ मण्डल, लखनऊ/सदस्य सचिव

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,  
प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

पत्र संख्या-नि०-2/एन०ओ०सी०/ २५६३-४१ /2021-22 दिनांक ०५ जून, 2022

विषय- श्री नत्थू सिंह ग्लोबल स्कूल, सेमरी चौराहा, खीरों, तहसील लालगंज, रायबरेली को सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी०बी०एस०ई०) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि शासनादेश संख्या 2144/15-7-2020-1(34)/ 2020 दिनांक 07.01.2021 द्वारा सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०सी०ई० से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन किये जाने सम्बन्धी दिये गये निर्देशों के अनुपालन में श्री नत्थू सिंह ग्लोबल स्कूल, सेमरी चौराहा, खीरों, तहसील लालगंज, रायबरेली द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन तथा शासनादेश संख्या-1916/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 द्वारा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, (आई०सी०एस०ई०) नई दिल्ली/सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, (सी०बी०एस०ई०) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 28.05.2022 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार श्री नत्थू सिंह ग्लोबल स्कूल, सेमरी चौराहा, खीरों, तहसील लालगंज, रायबरेली को सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, (सी०बी०एस०ई०) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने में आपत्ति नहीं है।

1. विद्यालय की पंजीकृत समिति का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।
5. संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।
6. कर्मचारियों की सेवा-विनियमावली बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
7. शासन/विभाग/ प्रशासन द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश/निर्देश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

-2

  
PRINCIPAL

S.N.S. GLOBAL SCHOOL  
SEMARI CROSS ROAD-RAIBARELI

Scanned with CamScanner

  
MANAGER  
SHRI NATTHU SINGH  
GLOBAL SCHOOL  
SEMARI CHAURAHARAIBARELI

8. विद्यालय के अभिलेख निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखे जायेंगे।
9. जनहित याचिका संख्या-483/2004 अवनीश मेहरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2009 के अनुपालन में विद्यालय द्वारा कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (आई0सी0एस0ई0) नई दिल्ली/सेण्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजुकेशन (सी0बी0एस0ई0) नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त होने के पूर्व, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है एवं उसमें अग्निशमन यन्त्र स्थापित हो चुका है तथा स्टाफ अग्निशमन उपायों हेतु मलीमॉति प्रशिक्षित है।
10. विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को हटाये जाने/पदमुक्त करने की सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक को दी जायेगी तथा उनके स्थान पर उसी शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता के व्यक्ति को ही नियुक्ति प्रदान की जायेगी।
11. उपर्युक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा। यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा। भविष्य में यदि प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत किसी तथ्य/अभिलेख/प्रस्ताव में किसी प्रकार की विसंगति पायी जाती है तो यह अनापत्ति स्वतः शून्य समझी जायेगी।

शुभदीय,

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,

षष्ठ मण्डल, लखनऊ/सदस्य सचिव

पू0सं0-नि0-2/एन0ओ0सी0/ 2483-89

/2021-21 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, रायबरेली।
3. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, रायबरेली।
5. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6. प्रबन्धक, श्री नत्थू सिंह ग्लोबल स्कूल, सोमरी चौराहा, खीरों, तहसील लालगंज, रायबरेली।
7. गार्ड फाइल

  
MANAGER  
SHRI NATTHU SINGH  
GLOBAL SCHOOL  
SEMARI CHAURAHA RAIBARELI

  
4.6.21  
(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)  
संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
षष्ठ मण्डल, लखनऊ/सदस्य सचिव  
PRINCIPAL  
S.M.S. GLOBAL SCHOOL  
SEMARI CHAURAHA RAIBARELI

Scanned with CamScanner